

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—88/2018 (2018/00190) वादपत्र

अनवान

1. बालुराम पिता गणेश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सावंरमल पिता जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पवनकुमार पिता जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कल्पनादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जमनादेवी पत्नि जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पन्नालाल पिता छोगालाल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. आशा पुत्री बंशीलाल पारीक निवासी झड़ौल हाल बापुनगर भीलवाड़ा
7. किरण पिता बंशीलाल पारीक निवासी झड़ौल हाल बापुनगर भीलवाड़ा
8. रजनकुमार पिता बंशीलाल पारीक निवासी झड़ौल हाल बापुनगर भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना —
2. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांक 28.12.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि आराजी संख्या 1025 रकबा 1.42 है 0 भूमि में वादीगण का 2/9 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 18.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी किया एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार




प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 876 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1025/1 रकबा 0.31 है0, भूमि बालुराम पुत्र गणेश ब्राह्मण सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1025/2 रकबा 1.11 है0, भूमि कल्पना पुत्री जगदीश 7/56, छोगा पुत्र गोकल 3/14, जमना पत्नि जगदीशचन्द्र 1/8, पवनकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र 1/8, बंशीलाल पुत्र गणेशलाल 2/7, सांवरमल पुत्र जगदीशचन्द्र 1/8 ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
28.12.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:-88/2018 (2018/00190) वादपत्र

अनवान

1. बालुराम पिता गणेश पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सावंरमल पिता जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पवनकुमार पिता जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कल्पनादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जमनादेवी पत्नि जगदीशचन्द्र पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पन्नालाल पिता छोगालाल पारीक निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. आशा पुत्री बंशीलाल पारीक निवासी झड़ौल हाल बापुनगर भीलवाड़ा
7. किरण पिता बंशीलाल पारीक निवासी झड़ौल हाल बापुनगर भीलवाड़ा
8. रजनकुमार पिता बंशीलाल पारीक निवासी झड़ौल हाल बापुनगर भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 876 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1025/1 रकबा 0.31 है, भूमि बालुराम पुत्र गणेश ब्राह्मण सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1025/2 रकबा 1.11 है, भूमि कल्पना पुत्री जगदीश 7/56, छोगा पुत्र गोकल 3/14, जमना पत्नि जगदीशचन्द्र 1/8, पवनकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र 1/8, बंशीलाल पुत्र गणेशलाल 2/7, सावंरमल पुत्र जगदीशचन्द्र 1/8 ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा